passed by the Parliament, representations were received from a section of trader—tenants demanding changes in some of the provisions of the Act. The then Chief Minister, Govt, of NCT of Delhi also appointed an All Party Committee which suggested changes in some of the provisions of the proposed Act. These suggestions primarily relate to deemed rent, registration of tenancies, eviction provisions, increase in rent and inheritability. On the other hand, a large number of representations have been received asking for early enforcement of the Act. All the issues are under examination of the Government.

Enforcement of Delhi Rent Act, 1995

4398. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are yet to notify enforcement of the Delhi Rent Act, but the courts in the capital have already passed orders, enforcing the spirit of this Act, by way of ordering enhancement of house-rent many times higher in respect of commercial properties; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and the steps proposed to be taken to rationalise the house-owner-tenant relations in the Capital within the spirit of this Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT & MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. V. VENKATESWARLU): (a) The enforcement of Delhi Rent Act, 1995 is yet to be notified. The Courts have not passed any orders enforcing the spirit of the Act by way of ordering enhancement of rent in respect of commercial properties.

(b) Soon after the Delhi Rent Bill was passed by the Parliament, representations were received from a section of trader-tenants demanding changes in some of the provisions of the Act. The then Chief Minister of NCT of Delhi also appointed an All Party Committee which suggested some changes in the proposed Act, primarily relating to registration of tenancies, eviction inheritability deemed rent etc. On the other hand, representations have been received asking for an early enforcement of the Act. All the issues are under examination of the Government.

शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाएं

4399. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री नागमणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चलाए जा रहे शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के लिए इन कार्यक्रम हेतु कितना बजटीय आवंतन किया गया है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन कार्यक्रमों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को इन कार्यक्रमों के लिए वास्तव में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) शहरी गरीबी को दूर करने हेतु सरकार को भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटेश्वरलू) : (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तीन केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामत: नेहरु रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रधान मंत्री का सकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है । इन सभी तीनों योजनाओं के बारे में संक्षिप्त नोट संलग्न है:-

नेहरू रोजगार योजना

योजना का स्वरूप

नेहरू रोजगार योजना का लक्ष्य शहरी इलाकों के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रोजगार देना है । इसमें

सूमे,सूवे व शासू नामक तीन स्कीमें इस प्रकार हैं :-

(i) सूमेः सभी शहरी इलाकों में शहरी लघु उद्यमों को स्थापना करके शहरी गरीब लाभ ग्राहियों को प्रशिक्षण तथा अवस्थापन सहायता देने की स्कीम (सूमे)।

(ii) सूवेः एक लाख से कम आवादी वाली शहरी स्थानीय संस्थाओं के दायरे में उपयोगी सामाजिक-आर्थिक जन परिसंपति के सृजन हेतु शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (सूवे)।

(iii) शासूः बीस लाख तक की आवादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में निम्न आय वर्ग पड़ोसों में शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निम्न आय वर्ग पड़ोस में मकानों के निर्माण और सुधार कार्यक्रमों की मार्फत रोजगार देने, प्रशिक्षण व अवस्थापन सहायता देने तथा लाभग्राहियों के निर्माण कौशल बढ़ाने की स्कींम (शासू)

लक्ष्य समूह व विशेस दायरा

शहरी गरीबों के व्यापक लक्ष्य समूह के तहत, "सूमे " तथा "शासू "के तहत 30 प्रतिशत लाभग्राही महिलाएं होने की आशा है । पुनः उनमें अनुसूचित जातियों (अनुजा) व अनुसूचित जनजातियों (अनुजजा) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उन वर्गों के लाभग्राहियों को शहरी आबादी में उनकी संख्या के अनुपात में धन की व्यवस्था राज्यों / संघ राज्यों द्वारा की जाएगी ।

सूवेमें की खास-खास बातें

शहरी लघु स्कीम (सूमे) के तहत परियोजना लगात की 25 प्रतिशत इमदाद दी जाती है, जो आम लाभग्राही के लिए 4 हजार रुपये तक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला लाभग्राहियों के लिए 5 हजार रुपए तक सीमित है । बाकी की परियोजना लागत बैंकों द्वारा दी जाती है । जिसकी ब्याज दर समय-समय पर अन संगत सहायता देने का भी कार्यक्रम है । इसके अलावा लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा अन्य समद्ध सहायता मुहैया कराने के लिए इस स्कीं में प्रशिक्षण तथा अवस्थापना सहायता घटक है ।

सूवे की खास-खास बातें

शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (सूवे) के तहत शहरी गरीबों को रोजगार देने की बात है । इस स्कीम में इन गरीबों के श्रम का इस्तेमाल एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के निम्न आय वर्ग पड़ोस में म्यूनिसिपल परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा । साम्रगी श्रम अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। नैमितिक कार्य के लिए विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

शासू की खास-खास बातें

शहरी विकास व आश्रय उन्न्यन स्कीम (शासू) के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके रिहायशी मकान बनाने या उनमें सुधार करने के लिए सहायता देने का कार्यक्रम है। इस स्कीम के तहत अधिकतम एक हजार रुपये की इमदाद तथा 9950 रुपये तक का कर्ज हुड्को द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। इससे अधिक धन की जरूरत होने पर हुडको से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्कीम के तहत कर्ज लिया जा सकता है। इस स्कीम के तहत निर्माण व्यवसाय में प्रशिक्षण और संगत अवस्थापन सहायता देने का भी विधान है।

शेयरिंग पटर्न

योग्य्ता के तहत होने वाले सभी व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच 60:40 आधार पर वहन किया जाएगा।

धन की स्थिति

जरी किए जाने वाले धन का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राशि (रु.करोड़ों में)
1989-90	145.65
1990-91	112.14
1991-92	102.80
1992-93	70.60
1993-94	74.77
1994-95	69.80
1995-96	60.84
1996-97	49.95
1997-98	80.00 (नियतन)

उपलब्धियां

30.4.1997 की स्थिति के अनुसार भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(आंकड़े लाखों में)

	लक्ष्य	उपलब्धियां
(i) सूमे के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या	8.10	9.16

(ii) सूवे के तहत प्रशिक्षित/प्रशिक्षणाधीन की सं.	2.46	2.57
(iii) सूवे के तहत सृजित श्रम दिवसों की सं.	483.50	459.73
(iv) शासू के तहत सुधारे गए/सुधारे जा रहे मकानों की सं.	7.98	4.39
(v) शासू के तहत प्रशिक्षित/ प्रशिक्षणाधीन व्यक्तियों की सं.	1.24	0.83

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं

यूबीएसपी कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में चलाया जा रहा है जिसके खास उद्देश्य आसामजिक सेक्टर के उद्देश्योन को प्रभावी ढ़ंग से पूरा करना, समुदाय संगठन, समाज संगठन तथा शक्तिकरण और स्थायी सहायता प्रणाली के जरिए प्रचार-प्रसार करना है । यूबीएसपी स्कीम के तहत एक और सामदायिकभागीदारी तथा जच्चा-बच्चा,स्वास्थ्य,प्राथमिक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा, गरीबों/ विकलांगों का पुनर्वास तथा सामुदायिक सौहार्द का संवर्धन करना है तो दूसरी ओर शुद्ध पेयजल का कम लागत की सफाई तथा अन्य अत्यावश्यक भौतिक सुविधाओं का प्रावधान करना है ।

कार्यक्रम के प्रयोजन हेतु शहरी गरीबों के लिए छोटे-छोटे बिखरे समूह और कालोनियों, शहर की बाहरी सीमा पर बसी अविकसित कालोनियों में रहने वाले स्लम परिवारों,पटरीवासियों तथा बेसहारा बच्चों और अन्य संबंद्ध श्रेणियों सहित जो वर्तमान कार्यक्रम के हिसाब से अपात्र हैं। परिभाषित गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों पर विचार किया जा सकता है।

इस कार्यक्रमों में आठवीं योजना अवधि के दौरान 500 शहरों के 70 लाख शहरी गरीबों को लक्ष्य बनाया गया है। कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों और संघ प्रदेशों (विधान सभा वाले)के बीच 60:40 के आधार पर वहन किया जा रहा है। इसके अलावा इसी स्लम पाकेट पर प्रति व्यक्ति व्यय प्रथम वर्ष 75 रु. तथा बुनअयादी अवस्थापना सुविधाएं विकसित होने के बाद दूसरे वर्ष प्रति व्यक्ति 50 रुपये होता है। नवंबर, 19996 तक इस कार्यक्रम के तहत करीब 319 शहरों में 70 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है।

8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कार्यक्रम हेतु स्वीकृत कुल 100 करोड़ रुपये के नियतन में से केवल, 82.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

शह्री गरीबी समस्या की जटिलताओं, खासकर छोटे कस्बों, जहां उनके पर्यावरण व विकास के लिए संसाधनों का नितान्त अभाव है, की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए प्रअधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवमबर, 1995 में आरंभ किया गया है।

उद्देश्य

प्रधान मंत्री के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य शहरी गरीबी के असंख्य बुनियादी कारणों पर एकसाथ कुठाराघात करना है, ताकि शताब्दी के अन्त तक लक्षित शहरी इलाकों में गरीबी का निवारण किया जा सके। इस कार्यक्रम के खास उद्देश्य सामाजिक सेक्टर के लक्ष्यों की कारगर प्राप्ति, समुदाय को सशक्त बनाना, अनवरत मदद प्रणालियों के जरिए जागरूकता पैदा करना, रोजगार के अवसर पैदा करना तथा दक्षता विकास पर्यावरण सुधार, और आश्रय सुधार करना है।

दायरा

यह कार्यक्रम 50 हजार से एक लाख की आवादी वाले सभी कस्बों पर, इस शर्त के साथ लागू है कि उनमें स्थानीय निकायों के चुनाव हो गए हों। यह सुनिश्चित करने के लिए शहरी गरीबों को इस कार्यक्रम के तहत सभी सुविधायें और लाभ प्राप्त हो सकें, यह तय किया गया है कि जिन कस्बों में स्थानीय निकायों के चुनाव विभिन्न कारणों से न हुए हों, वहां अपवाद स्वरूप एकबार अर्थात 1995-96 के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भी राशि दे दी जाय। इसके अलावा पिछड़े राज्यों तथा पहाड़ी इलाकों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए भी यह तय किया है कि यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाय बशर्ते कि शहर की आवादी एक लाख से अधिक नहीं हो और इसमें शामिल मुख्यालय शहर अथवा अन्य शहर 50,000 से 1 लाख के बीच की आबादी वाला शहरी समूह होने के नाते पहले से शामिल न हो।

महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनु.ज.जाति से संबंधित व्यक्तियों और विकलांगों की ओर विशेष ध्यान/बल दिया जाएगा।

खास-खास बातें

इस कार्यक्रम में समुदाय, शहरी स्थानीय निकायों,

गैर-सरकारी संगठनों तथा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के जरिये संसाधन जुटाने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर को आयकर में 100 प्रतिशत की छूट देकर और उनसे अंशदान लेकर एक राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष बनाये जाने की भी बात है।

इस कार्यक्रम में बहु-उद्देशीय सामुदायिक केन्द्र बनाये जायेंगे,जो 300 वर्ग फुट के दायरे में होंगे और जो सामुदायिक स्कूल, परिवार/व्यावहारिक सक्षरता/अनौपचारिक शिक्षा/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सांस्कृतिक केन्द्र आदि के रूप में कार्य करेंगे और यह केन्द्र 100 परिवारों के पड़ोस-समूह के लिए होंगे।

इस कार्यक्रम में अर्थ रोजगार सुदा तथा बेरोजगार शहरी गरीब युवाओं को कौशल विकास के जरिए सर्विसिंग, छोटे-मोटे कारोबार और उत्पादन संबंधी लघु उद्योग लगाने का विचार है। प्रति इकाई अधिकतम लागात 11 लाख रु. रखी गयी है। जिसमें प्रति व्यक्ति परियोजना लागत कि 15% सब्सिडी का प्रावधान है जो अधिकतम 7,500 रु.होगी। पुनः भुगतान शारणी बैंक द्वारा तथा निर्धारित 6 से 18 महिने के प्रारंभिक विलम्बन काल के बाद 3 से 7 वर्ष के बीच है।

कार्यक्रम के आश्रय सुधार के लिए शहरी गरीबों को वाणिज्यिक बैंकों सहित हुडको/किसी अन्य वित्तीय संस्थान से दिये जाने वाले 10,000/- के ऋण घटक की वित्तीय सहायता का विचार है बशर्ते कि लाभार्थी के पास उस भूमि का मालिकाना हक हो। प्रति यूनिट 25% के हिसाब से अधिकतम 2500/- की सब्सिडी दी जाएगी।

इस कार्यक्रम के तहत समग्र कस्बा आधार पर बिजली, पानी, समान्य सफाई कूड़ा-कचरा निपटान तथा छोटे-मोटे निर्माण कार्यों तथा सड़कों, गलियों, नालों, सामुदायिक स्नानघरों/शौचालयों आदि की भौतिक सुविधाएं जुटाये जाने का प्रस्ताव है। जिनके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से 60:40 के आधार पर धन दिया जाएगा ।

इस कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति पहले साल 100 रु. और परवर्ती वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति 75/- रुपये के हिसाब से सामुदायिक कार्यों के लिए दिए जायेंगे।

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए नियतन इस प्रकार हैं:

वर्ष	**राशि (करोड़ रुपये में)**
नेहरू रोजगार योजना	
1994-95	70.00
1995-96	61.04
1996-97	50.15
1997-98	80.00
यू.बी.एस.पी.	
1994-95	16.00
1995-96	18.00
1996-97	18.00
1997-98	20.00
प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी अन्मूलन कार्यक्रम (नवम्बर,95 में शुरू किया गया)	
1995-96	105.80
1996-97	71.00
1997-98	88.00

(ग)**नेहरू रोजगार योजनाः** सूचना अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 180, अनुपत्र संख्या-91]

यू.बी.एस.पी. : यह एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए संचयी सूचना विवरण-। के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

सूचना विवरण-॥ के रूप में संलग्र है । (नीचे देखिए)

(**घ**) **नेहरू रोजगार योजना** सूचना विवरण-॥। के रूप में संलग्र है । (नीचे देखिए)

यू.बी.एस.पी. : सूचना विवरण-।V के रूप में संलग्र है । (नीचे देखिए)

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :-

सूचना विवरण- V तथा VI के रूप में संलग्र है । (नीचे देखिए)

(ड.) एक नई स्कीम चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण – I

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	इन स्लप पाकोटों में शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या (हजारों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	753
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	174
4.	बिहार	290
5.	गोवा	831
6.	गुजरात	384
7.	हरियाणा	78
8.	हिमाचल प्रदेश	13
9.	जम्मू व कश्मीर	005
10.	कर्नाटक	279
11.	केरल	549
12.	मध्य प्रदेश	429
13.	महाराष्ट्र	981
14.	मणिपुर	828
15.	मेघालय	015
16.	मिजोरम	100
17.	नागालैंड	-
18.	उड़ीसा	109
19.	पंजाब	223
20.	राजस्थान	433
21.	सिक्किम	010
22.	त्रिपुरा	015
23.	तमिलनाडु	723
24.	उत्तर प्रदेश	906
25.	पश्चिम बंगाल	559
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	028
27.	चंडीगढ़	060
28.	दादरा व नगर हवेली	012
29.	दमन व द्वीव	001
30.	दिल्ली	388
31.	पांडीचेरी	101
	योग:	7572

विवरण II

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

लक्ष्यः

5 वर्ष की कर्यान्वयन अवधि (1995-96 से 1999-2000) के दौरान कार्यक्रम के तहत 5 मिलियन शहरी गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपलब्धियां :

राज्य सरकारों द्वारा की गई सूचना के अनुसार भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(क) 240 शहरों में घर-घर जा कर सर्वेक्षण पूरा किया गया।

(ख) 229 शहरों के लिए शहर-वार परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

(ग) स्व-रोजगार घटक के तहत 31282 आवेदन बैंकों को भेजे गये जिसमें से 4726 मामले मंजूर किये जा चुके हैं।

(घ) आश्रय सुधार घटक के तहत 14504 आवेदन बैंकों/हडको को भेजे गये हैं जिनमें से हडको द्वारा 7796 मामले मंजूर किये जा चुके हैं।

(ङ) 8382 परिवेश दल, 1280 परिवेश विकास समितियां और 81 समुदाय विकास समितियां बनाई गई हैं।

(च) 921 थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट समितियां और 151 सामुदायिक केन्द्र बनाए गये हैं।

विवरण – III

नेहरू रोजगार योजना
वास्तव में दिया गया धन

क्र. सं.	सं. राज्य/संघ प्रदेश का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	508.90	463.50	443.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.09	57.20	28.20
3.	असम	184.72	147.20	135.70
4.	बिहार	429.95	471.45	454.80
5.	गोवा	18.25	18.30	11.39
6.	गुजरात	194.45	215.90	77.72
7.	हरियाणा	122.72	111.99	84.75
8.	हिमाचल प्रदेश	64.75	66. 15	60.15
9.	जम्मू व कश्मीर	73.61	77.88	62.70
10.	कर्नाटक	398.25	252.06	147.72
11.	मध्य प्रदेश	241.58	154.60	149.25
12.	महाराष्ट्र	595.03	508.25	396.95
13.	मणिपुर	494.55	521.33	608.26
14.	मेघालय	66.42	62.91	47.60
15.	मिजोरम	2227	31.80	29.30
16.	नागालैंड	29.06	27.58	21.85
17.	उड़ीसा	21.95	3.50	—
18.	पंजाब	168.50	156.60	90.05
19.	राजस्थान	196.12	105.60	103.60

क्र. सं.	सं. राज्य/संघ प्रदेश का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
20.	सिक्किम	361.55	330.37	271.25
21.	तमिलनाडु	29.15	28.46	22.70
22.	त्रिपुरा	631.76	563.49	478.00
23.	उत्तर प्रदेश	28.81	26.41	21.75
24.	पश्चिम बंगाल	1549.54	1138.89	1025.45
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	392.18	441.00	179.00
26.	चंडीगढ़	21.21	16.7	15.00
27.	दादरा व नगर हवेली	15.79	12.03	9.35
28.	दमन व द्वीव	10.35	9.65	6.07
29.		13.82	22.60	12.65
30.	दिल्ली	22.00	22.60	—
31.	पांडीचेरी	27.30	18.60	—
	योग:	6980.00	6084.00	4995.00

विवरण – IV

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं

क्र. सं.	सं.राज्य/यूटी	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	179.60	260.10	208.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	5.50	—
3.	असम	21.90	5.50	11.00
4.	बिहार	86.28	101.80	135.70
5.	गोवा	11.00	16.50	16.50
6.	गुजरात	63.45	48.15	96.35
7.	हरियाणा	26.55	29.30	26.85
8.	हिमाचल प्रदेश	11.00	11.00	11.00
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	110.50	94.95	63.30
11.	केरल	68.08	70.85	65.30
12.	मध्य प्रदेश	152.45	174.20	116.15
13.	महाराष्ट्र	133.54	133.00	44.35
14.	मणिपुर	16.50	16.50	11.00
15.	मेघालय	15.00	17.60	14.50
16.	मिजोरम	16.50	17.60	16.50
17.	नागालैंड	—	—	—

क्र. सं.	सं.राज्य/यूटी	1994-95	1995-96	1996-97
18.	उड़ीसा	49.55	30.60	20.40
19.	पंजाब	34.05	16.46	16.45
20.	राजस्थान	96.00	107.10	71.40
21.	सिक्किम	18.50	5.50	5.50
22.	तमिलनाडु	167.60	108.45	210.20
23.	त्रिपुरा	16.50	8.25	16.50
24.	उत्तर प्रदेश	144.28	282.45	368.95
25.	पश्चिम बंगाल	65.57	136.45	178.95
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	09.15	13.75	
27.	चंडीगढ़	09.15	—	18.30
28.	दादरा व नगर हवेली	18.30	127.45	09.15
29,	दमन व द्वीव	—	—	9.15
30.	दिल्ली	—	11.00	11.00
31.	पांडीचेरी	11.00	—	—
	योग:	1550.00	1750.00	1780.00

विवरण – V

प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी धन (1995-96)

(रुपये लाखों में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	जारी किया गय केन्द्रीय अंश (1995-96)
1.	आन्ध्र प्रदेश	980.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.11
3.	असम	—
4.	बिहार	819.37
5.	गोवा	90.00
6.	गुजरात	583.59
7.	हरियाणा	183.03
8.	हिमाचल प्रदेश	87.57
9.	जम्मू व कश्मीर	136.22
10.	कर्नाटक	634.59
11.	केरल	263.20
12.	मध्य प्रदेश	772.87

क्रम. सं.	राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
13.	महाराष्ट्र			948.60
14.	मणिपुर			48.65
15.	मेघालय			38,92
16.	मिजोरम			19.46
17.	नागालैंड			108.65
18.	उड़ीसा			269.17
19	पंजाब			306.30
20,	राजस्थान			506.27
21.	सिक्किम			38.92
22.	तमिलनाडु			1046.37
23.	त्रिपुरा			19.45
24.	उत्तर प्रदेश			1584.74
25.	पश्चिम बंगाल			679.43
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			50.00
27.	पांडीचेरी			30.00
	योग			1058000

विवरण – VI

प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1996-97

(रु. लाखों में)

क्र. सं.		दी गई अंतिम राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	866.13
2.	पंजाब	95.8045
3.	राजस्थान	314.7863
4.	केरल	443.0348
5.	तमिलनाडु	58.5615
6.	पश्चिम बंगाल	315.5450
7.	मध्य प्रदेश	103.6784
8.	गोवा	82.6388
9.	हरियाणा	128.5492
10.	बिहार	343.1226
11.	उड़ीसा	186.24
12.	सिक्किम	437.7788

क्रम. सं.	राज्य का नाम	जारी किया गया केंद्रीय अंश
13.	कर्नाटक	512.9095
14.	गुजरात	68.4318
15.	महाराष्ट्र	42.6336
16.	उत्तर प्रदेश	27.7938
17.	हिमाचल प्रदेश	123.1772
18.	जम्मू व कश्मीर	145.5448
19.	मेघालय	270.55
20.	अरुणाचल प्रदेश	447.18
21.	असम	36.7290
22.	मणिपुर	647.00
23.	मिजोरम	27.37280
24.	नागालैंड	884.3184
25.	त्रिपुरा	390.4892
	योग	7000.00
संघ शासित राज्य		
1.	पांडीचेरी	30.30
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30.30
	योग	60.00
	कुल योग	7060.00

Abolition of Slums in New Delhi

4400. SHRI ONWARD D. NONGTDU: Will the PRIME MINISTER be pleased to. state:

(a) whether the Gpvernment ar*e* aware of existence of slums in New Delhi; and

(b) the new measures taken/proposed to be taken to abolish the slums from the national Capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT & MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Dr. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) The policy of the Government in regard to the jhuggi clusters (Slums) envisage^ that on the one hand no fresh encroachment are to be permitted on the